<u>प्रकाशन के लिए अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 7109 वर्ष 2008

याचिकाकर्ता अशोक कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 जनवरी, 2011 को आदेश सुनाए जाने हेतु उद्घोषित

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 7109 वर्ष 2008

याचिकाकर्ता अशोक कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ: सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री के.एम. अंसारी।

श्री पी.के. भादुड़ी, राज्य के पैनल अधिवक्ता

(24 जनवरी, 2011 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत चाहता है:

"10 (i) कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को पुराने मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता सूची के अनुसार और मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने और कानून के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता सूची को

संशोधित करने का निर्देश देने की कृपा करेगा।

10 (ii) कि, यह माननीय न्यायालय कृपया परमादेश के रूप में एक रिट जारी करने की कृपा करे जिसमें उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाए कि वे 04.04.07 को जारी की गई वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता को उचित स्थान प्रदान करें और साथ ही इस संबंध में कानून को ध्यान में रखते हुए भविष्य की वरिष्ठता सूची तैयार की जाए।

2. याचिकाकर्ता द्वारा मामले के निपटारे के लिए प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 12-2-1982 को तदर्थ आधार पर हुई थी। इसके बाद, वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "एमपी पीएससी") के समक्ष उपस्थित हुए और 14-5-1987 से सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में अपनी सेवाएँ संविलियन कर लीं। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित पदक्रम सूची में।, मध्य प्रदेश सरकार, में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 1826 पर दर्ज है। तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, याचिकाकर्ता की सेवाएँ मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित कर दी गईं। हालाँकि, पारस्परिक स्थानांतरण/आवंटन के आधार पर, याचिकाकर्ता अपने अनुरोध पर छत्तीसगढ़ राज्य में ही रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, 4-4-2007 को उत्तरवादीगण प्राधिकारियों द्वारा एक पदक्रम सूची प्रकाशित की गई थी, जो गलत थी। उक्त पदक्रम सूची के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17-3-2008 को जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत

किया और गुणानुगुण के आधार पर तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची के अनुसार पदक्रम सूची में अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसरण में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पदक्रम सूची प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम पदक्रम सूची में सबसे नीचे अंकित था, जबकि याचिकाकर्ता पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से उत्तरवादीगण विभाग में कार्यरत है।

4. उत्तरवादी विभाग द्वारा 23-1-2008 को पुनः छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल) की पदक्रम सूची प्रकाशित की गई।उक्त पदक्रम

सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 28-

2-2008 को प्राधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और मध्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम दशरथ सिंह व अन्य मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय के आलोक में पदक्रम सूची में अपना नाम उचित रूप से दर्ज करने का अनुरोध किया। हालाँकि, उत्तरवादीगण प्राधिकारियों ने कानून के सुस्थापित सिद्धांतों और याचिकाकर्ता की वरिष्ठता पर विचार किए बिना,याचिकाकर्ता का नाम वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे अंकित करके वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी। इसलीये की गई है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंसारी ने तर्क दिया कि प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशित पदक्रम सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद

320 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से और कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना पदक्रम सूची प्रकाशित की। पदक्रम सूची प्रकाशित करते समय

उत्तरवादी प्राधिकारियों ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि याचिकाकर्ता पिछले ढाई दशकों से भी अधिक समय से कार्यरत है।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री भादुड़ी ने तर्क दिया कि वास्तव में उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा 4-4-2007 को कोई पदक्रम सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। 23-1-2008 की पदक्रम सूची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2-2-2006 के निर्णय के आलोक में प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता की सेवाएँ 20-5-2005 के परिपत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को पारस्परिक रूप से आवंटित की गई थीं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है और याचिका खारिज की जाती है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति न्यायालय द्वारा उचित चयन के माध्यम से की गई थी।

वर्ष 1983 में एमपी पीएससी में उनका नाम शामिल हुआ और दिनांक 10-7-1984 की मेरिट सूची में उनका नाम क्रम संख्या 151 पर आया।

8. अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

परिभाषाएं

(क) नियुक्ति दिनांक से वह दिन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;'

9. 1 नवंबर, 2000 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। नियुक्ति तिथि से पहले किया गया पहला आवंटन याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की रक्षा करता था और यह उसके सेवा में प्रवेश के समय की चयन सूची के अनुसार था।

10. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में "अधिनियम, 2000") 1-11-2000 से लागू हुआ, जिसके तहत तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य से नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। अधिनियम 2000 की धारा 68 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों की सेवाएं आवंटित की गईं। याचिकाकर्ता को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में आवंटित किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता और श्री वी.एस. अवस्थी द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, पारस्परिक आवंटन आदेश दिनांक 28-7-2005 (अनुलग्नक आर/1) पारित किया गया था। तदनुसार, श्री अवस्थी की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित की गईं और याचिकाकर्ता की सेवाएं मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित की गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 अधिनियम, 2000 की धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटन तब पूरा हो चुका था जब याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य में आवंटित किया गया था, हालाँकि वह किसी न किसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य में ही बना रहा। केंद्र सरकार, जो अधिनियम,2000 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण रूप से सशक्त है, ने अधिनियम, 2000 की धारा 68(3) के

अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ का गठन किया और पारस्परिक आवंटन हेतु कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार करने हेतु निर्देश जारी किए।

12. अधिनियम, 2000 की धारा 68 इस प्रकार है:

> 68. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेवाओं से संबंधित प्रावधान.--(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के मामलो के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से मध्य प्रदेश राज्य के मामलो के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करता रहेगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा उससे छत्तीसगढ़ राज्य के मामलो के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की अपेक्षा न की जाए। बशर्ते की नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा।
>
> (2) नियत दिन के पश्चात यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस उत्तरवर्ती राज्य का अवधारण करेगी, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और वह तारीख जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा।
>
> (3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से किसी उत्तरावर्ती राज्य को आवंटित किया जाता है, यदि वह पहले से ही वहां सेवा नहीं कर रहा है, तो उसे संबंधित सरकारों के बीच या उसके बीच सहमत तिथि से उत्तरावर्ती राज्य में सेवा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे समझौते का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लंघन, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अधिनियम, 2000 की धारा 68(3) के अंतर्गत 29-4-2005 को अधिसूचना

जारी की गई।

13. दिनांक 29-4-2005 की अधिसूचना का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

"क्र.एफ-1-17-2004-4(2)- रापुप्र. एक-मध्यप्रदेष पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(3) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आबंटित शासकीय सेवकों के आपसी अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानांतरण, मध्यप्रदेष पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम प्रारूप में आबंटन के आदेष जारी किये गए, इसके पश्चात् दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों से पारिवारिक कठिनाईयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्ठिगत रखते हुए, मानवीय आधार पर भारत सरकार कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग, कार्मिक लोक षिकायत एवं पेंषन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14-279/2002-एस. आर. (एस), दिनांक 1 मई 2003 में दिये गये निर्देषों के पालन में दोनों राज्यों द्वारा विचार विमर्ष करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आबंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी सहमति से

पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देष प्रसारित किए जाते है –

XXX	**XXX**	**XXX**
XXX	**XXX**	**XXX**
XXX	**XXX**	**XXX**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्य ग्रहण करने वाले शासकीय सेवक का संविलियन करते हुए उनका सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ग के अनुसार अन्त में निर्धारित की जावेगी तथा शासकीय सेवक की उस संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति यदि वर्ष 1994 की है तो पारस्परिक स्थानांतरण पर आये शासकीय सेवक का नाम पदक्रम सूची में वर्ष 1994 के उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत कुछ शासकीय सेवकों के उल्लेखित अन्तिम नाम के नीचे तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामें से उपर रखा जाएगा।

(10) भारत सरकार द्वारा किये गये अन्तिम राज्य आबंटन के दिनांक 1 नवम्बर 2000 के बाद शासकीय सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गई है और वे पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहते हैं तो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण पर आए उत्तरवर्ती राज्य में अन्तिम आबंटन के समय धारित पद पर पदावन्नत कर उसी संवर्ग में संविलियन किया जावेगा, पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संवर्ग में यदि वे पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं तो इस पर विचार किया जा सकेगा और ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जावेगी. जैसा कि उपरोक्त क्रमांक 9 में उल्लेखित किया गया हैI

इसके अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने परिपत्र दिनांक 20-5-2005 द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निर्देश जारी किए। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खंड 11 के अनुसरण में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।इस प्रकार कर्मचारियों का पारस्परिक आबंटन उपर्युक्त अधिसूचना के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है।

14. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दशरथ सिंह (पूर्वोक्त) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का अवलम्ब लिया है, जिसमें पारस्परिक स्थानांतरण पर आवंटित कर्मचारियों की वरिष्ठता पर विचार किए बिना, यह माना गया था कि कर्मचारियों की वरिष्ठता 10-7-1984 को तैयार की गई चयन सूची के अनुसार ही रखी जाएगी। उक्त मामले में विवाद अलग था और यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.दोनों अधिकारियों के बीच पारस्परिक आधार पर बाद में आवंटन, जैसा कि पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 29-4-2005 में उल्लिखित है, केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में मध्य प्रदेश राज्य में आवंटित किया गया था और उसके बाद पारस्परिक आधार पर उसकी सेवाएँ छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित की गईं, इस प्रकार वह दिनांक 29-4-2005 की अधिसूचना के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

16.दिनांक 29-4-2005 की अधिसूचना के खंड 9 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पारस्परिक आवंटन के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति 1984 में नियुक्त/पदोन्नत होता है, तो उसके बाद

पारस्परिक आवंटन पर आने वाले व्यक्ति को या तो वरिष्ठता सूची में 1984 के सबसे नीचे या वर्तमान प्रकारण में 1995 के आरंभिक कर्मचारियों के ठीक ऊपर रखा जाएगा।

17.उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर याचिकाकर्ता को उसके बैच अर्थात 1984 के अधिकारियों में सबसे नीचे रखा जाना गलत या अवैध नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता के आधार पर अपनी चयन और सेवा में प्रवेश के अनुसार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। दिनांक 29-4-2005 की अधिसूचना के खंड (9) और (10) में स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में स्थान दिए जाने का प्रावधान है, जिन्हें बाद में पारस्परिक आधार पर आवंटित किया गया है। कर्मचारी को उसके बैच के कर्मचारियों/अधिकारियों में सबसे नीचे या अगले वर्ष सबसे ऊपर रखा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उत्तरवादी प्राधिकारियों की अपेक्षित कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 का उल्लंघन है, इस मामले में शामिल वर्तमान विवाद में सुसंगत नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

19.उपरोक्त कारणों से रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में आदेश का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

Translated By : Mamta Mahilange, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur